न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2018/00222

1. कस्तूरी बाई विधवा मोतीलाल (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. बालचन्द पुत्र कस्तूरी बाई पत्नी मोती शंकर निवासी जगन्नाथपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   1/2. दयानन्द पुत्र कस्तूरी बाई पत्नी मोती शंकर निवासी जगन्नाथपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   1/3. भीमशंकर पुत्र कस्तूरी बाई पत्नी मोती शंकर निवासी जगन्नाथपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   1/4. गोविन्द पुत्र कस्तूरी बाई पत्नी मोती शंकर लाल निवासी नयाखेडा, कोटा ।
   1/5. उर्मिला पत्नी रामावतार (पुत्री कस्तरी विधवा मोतीशंकर) जाति ब्राह्मण निवासी छावनी कोटा ।
   1/6. रूकमणी पत्नी बाबूलाल (पुत्री कस्तूरी विधवा मोती शंकर) निवासी बांसी जिला बून्दी ।
2. पुष्पा बाई पत्नी श्री प्रभूलाल जाति ब्रह्मण निवासी गंगायचा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. नटी बाई पत्नी भवानी शंकर (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   3/1. प्रेम बाई पुत्री नटी बाई जाति ब्राह्मण निवासी जगन्नाथपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   3/2. किशन लाल पुत्र नटी बाई जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम चडी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   3/3. ओम प्रकाश पुत्र नटी बाई जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम चडी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   3/4. मुकुट बिहारी पुत्र नटी बाई जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम चडी तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   3/5. निर्मला पुत्री नटी बाई जाति ब्राह्मण निवासी केशवपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   3/6. रूकमणी पुत्री नटी बाई जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम चन्द्रेसल तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   3/7. लक्ष्मी कान्ता पुत्री नटी बाई जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अरलिया जागीर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   3/8. संतोष पुत्री नटी बाई जाति ब्राह्मण निवासी खटकड तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. कुंज बिहारी आत्मज बद्रीलाल जाति ब्राह्मण (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   4/1. मंजू बाई विधवा कुंज बिहारी निवासी गंगायचा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
   4/2. अनसुईया पत्नी अशोक गौतम पुत्री कुंज बिहारी निवासी दसलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   4/3. हरिओम आत्मज कुंज बिहारी निवासी गंगायचा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

4/4. अनामिका पत्नी गिरधर गोपाल पुत्री कुंज बिहारी निवासी बालिता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4/5. सुनिता पत्नी राकेश पुत्री कुंज बिहारी निवासी गॉवडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. बृह्मानन्द आत्मज ब्रदीलाल जाति ब्राह्मण निवासी गंगायचा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. कान्ती बाई पत्नी श्रीनाथ जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम चन्द्रेसल तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. ओमा बाई पत्नी सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बरूंधन तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
8. ब्रदी बाई पत्नी स्व0 बद्रीलाल जाति ब्राह्मणस निवीस ग्राम गंगायचा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. नन्दकिशोर आत्मज छगन लाल धाकड निवासी गंगायचा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।
3. भू–अभिलेख अधिकारी तहसीलदार सीएडी, कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री विजय सिंघल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 18.09.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.12.2010 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गंगायचा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 440 की रकबा 0.78 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 09/381 रकबा 0.04 हैक्टर कुल 02 किता रकबा 0.82 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के खातेदारी में दर्ज है । केचमेंट समाप्ति के पश्चात् वादी

के खाते की आराजी जिसका पुराना खसरा नम्बर 173 व 183/80 रकबा 0.52, 0.40 हैक्टर कुल 0.92 हैकटर था । वादी द्वारा खसरा नम्बर 173 व 183/380 के कब्जा संभलाने बाबत् कहने पर केचमेंट अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा यह कहा कि उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 546 ही हैं । नवीन खसरा नम्बर राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नम्बर 171, 172, 181, 182 का नवीन खसरा नम्बर है तथा वादी को गुमराह कर मौके पर खसरा नम्बर 440 जिसका रकबा 0.78 हैक्टर जिसका खातेदार वादी है । वादी को उक्त भूमि नहीं संभलायी गई है । वादी के खाते की भूमि खसरा नम्बर 440 पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त हैं । प्रतिवादी द्वारा वादी के खाते की आराजी को वादी को कब्जा संभलाने से इंकार कर दिया । वादी के खाते की आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा किया हुआ है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के खाते की आराजी में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे एवं न ही अपने प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 28.12.2010 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.12.2010 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सूचित किये तथा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एक तरफा निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.12.2010 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचित किये बिना निर्णय पारित किया है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी वादग्रस्त आराजी की पैमाईश के लिए कहने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय की नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 20.03.2018 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं होने के बावजूद स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता प्रदान की है जो अवैध है । लोक अदालत में अपीलान्ट को सूचना

किये बिना प्रकरण को रखा गया और अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा कार्यवाही की गई है । लोक अदालत में न तो कोई राजीनामा हुआ था और न ही समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलान्ट का है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.12.2010 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील विलम्ब से पेश की गई है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । धारा 05 के प्रार्थना पत्र पर सिर्फ मंजू बाई के हस्ताक्षर हैं जबकि अपील में कई अपीलान्ट हैं । अपीलान्टगण की प्रोपर तामील करवायी गई थी । लोक अदालत में गुणावगुण के आधार पर भी निर्णय पारित किया जा सकता है । वादग्रस्त आराजी के खातेदार रेस्पोडेन्ट हैं । जमाबन्दी और खसरा गिरदावरी में रेस्पोडेन्ट का नाम अंकित है । सन् 2010 से वादग्रस्त आराजी पर कब्जा रेस्पोडेन्ट का है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.12.2010 बहाल रखा जावे । अपने पक्ष के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2019 (3) पेज 1824 उद्वरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

11. हमने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 की प्रमाणित प्रति, नकल नक्शा ट्रेस, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2071–75 एवं तहसीलदार का असल प्रमाण पत्र पेश किये हैं । उक्त दस्तावेज राजकीय दस्तावेज हैं जिनकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । अतः न्यायहित में रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया गया है । बेदखली के दावे में बिना बेदखली का आदेश पारित किये स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है जो विधि–विरूद्ध है । ऐसे निर्णय जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होते हैं उसमें समय सीमा गौण हो जाती है । विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा उद्वरत नजीर इन तथ्यके आधार पर इस प्रकरण में चस्पा नहीं होती है । हम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम को न्यायहित में स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाना उचित समझते हैं । तद्नुसार धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 28.12.2010 के अनुसार पत्रावली लोक अदालत में रखी गई । इससे पूर्व पत्रावली जवाब में लम्बित थी । लोक अदालत में प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए हैं और उसी दिन गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते

हुए दावा वादी डिक्री किया गया है और स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की गई है । दावे में वादी के द्वारा जो सहायता चाही गई है उसमें वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा दिलाये जाने और प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने की प्रदान की है और अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है । जहॉ तक केचमेंट द्वारा वादी को कब्जा संभलाये जाने का प्रश्न है, वादी ने स्वयं अपने दावे की मद संख्या 04 में यह कथन किया है कि केचमेंट ने खसरा नम्बर 440 का कब्जा उसे नहीं संभलाया है ।

14. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.12.2010 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण अपीलान्ट से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का अपना स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 09.10.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 18.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/9/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा